International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Febuary- 2015, Volume-2, Issue-1 Email- editor@ijesrr.org

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से सम्बन्धित समीक्षा की संस्तुतियों का औचित्य एवं इनका क्रियान्वयन एक अध्ययन

[1]डॉ0 सुरक्षा बंसल , [2]कृष्ण पाल
[1]शोध निर्देशिका, [2]शोधार्थी
[1],[2]शिक्षा संकाय
सी0एम0जे0 विश्वविद्यालय
राय–भोई, जोरवाट, मेघालय

किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था वहाँ के संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं मूल्यों को संरक्षित करती है, उनका पोषण करती है तथा समयानुकूल आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन करती है। शिक्षाविदों एवं समाजशास्त्रियों का मानना है कि "समाज शिक्षा को जन्म देता है और शिक्षा समाज को"। एक देश की शिक्षा प्रणाली दूसरे देश से भिन्न होती है इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की परिस्थितियाँ, वातावरण, संस्कृति एवं सभ्यता अपनी होती है किन्तु इन सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। लगभग 700 वर्ष के आसपास इस देश पर मुस्लिमों ने राज्य किया तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को प्रभावित करते रहे। उसके पश्चात यहाँ पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने अपनी भाषा तथा संस्कृति का प्रचार–प्रसार किया। इससे प्रभावित होकर आज हम विदेशी संस्कृतियों तथा रहन–सहन के अधिक करीब हो गये। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता पर जितना अध्ययन विदेशों में हो रहा है उतना हमारे देश में नहीं हो रहा है। जबकि भारतीयों के लिए प्रचीन शिक्षा प्रणाली का विशेष महत्व है जिससे हम अपनी मूल संस्कृति एवं सभ्यताओं को समझ सकें तथा अपनी मौलिकता का विकास कर सकें। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका है। स्वाधीनता से पूर्व की शिक्षा विदेशी शासकों से प्रभावित होती रही और जिससे भारतीय मौलिकता विस्मृत होती गई। आजादी के पश्चात सन् 1947 में भारतीय शिक्षा प्रणाली भारतीयों के हाथ में आ गई। उसके बाद भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा आयोगों एवं समितियों के प्रतिवेदनों की संस्तुतियों एवं सुझावों से ही प्रभावित होती रही है। ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था में आन्दोलन होते रहे हैं। वही स्थिति आज आजाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विरोध में भी शिक्षा बचाओ आन्दोलन चलाया गया जिसके कारण लगातार तीन समितियों का गठन किया गया, उनका भी कोई सार्थक परिणाम परिलक्षित नहीं हुआ नीति–निर्धारण के सन्दर्भ में आयोग ने राष्ट्रीय बजट को 6 प्रतिशत करने का सुझाव दिया तथा 20 वर्षों के अन्दर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करने का सुझाव दिया तथा यह भी बताया कि 70 प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक स्तर के पूर्ण इकाई शिक्षा की व्यवस्था करने और शेष 30प्रतिशत बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने और इसमें से भी चुने हुए योग्य एवं सक्षम बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। आयोग ने समयानुकूल व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक तथा उन्नयन पर बल दिया। कृषि शिक्षा की उचित नीति एवं व्यवस्था का सुझाव दिया। मांग के अनुसार व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक शोधों पर अधिक बल दिया। शिक्षक स्तर एवं शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी उपयुक्त सुझाव दिये। प्रौढ़ शिक्षा का व्यापक और उचित योजना प्रस्तुत किया। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया। किन्तु इस आयोग के द्वारा प्रशासन की उचित व्यवस्था, दोषपूर्ण भाषा नीति, शिक्षा के अन्य पक्षों पर विरोधी विचार, वरिष्ठ विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना का अनावश्यक सुझाव, माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विरोधी विचार तथा प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन जैसे अनावश्यक सुझाव आयोग की कमियों में गिना जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह शिक्षा का विश्वकोष है तथा इसमें भारतीय शिक्षा के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

आयोग के अपने शब्दों में– उसके सुझाव सर्वश्रेष्ठ एवं अन्तिम नहीं। विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। आयोग के कुछ सुझाव ऐसे हैं जो उस समय भी उपयोगी थे और इस 21वीं शताब्दी में भी उपयोगी हैं जैसे– शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मानना, शिक्षा का बजट कम से कम 6 प्रतिशत करना, माध्यमिक शिक्षा को अपने में एक पूर्ण इकाई के रूप में बनाना, उच्च शिक्षा में केवल प्रतिभाशाली छात्रों को प्रवेश देना और देश में विज्ञान शिक्षा एवं शोध कार्य पर विशेष ध्यान देना इत्यादि। किन्तु आयोग के कुछ सुझाव अपूर्ण एवं अनुपयोगी सिद्ध हुए हैं जैसे– पूरे देश के लिए समान शिक्षा संरचना प्रस्तुत न करना, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्ययन पर बल देना और कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना इत्यादि। पर कुछ भी हो, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नये युग का आरम्भ किया जिसके आधार पर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया। इसके पश्चात् भी वर्तमान में शिक्षा राष्ट्रीय भावना के अनुरूप, निज संस्कृति के प्रति अवहेलना का भाव तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रति प्रेम स्पष्ट परिलक्षित होता है। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य राष्ट्र की युवा पीढ़ी को जिस दिशा में ले जा रही है वह उचित नहीं जान पड़ती। जिसका मुख्य आधार यह है कि आज का युवा राष्ट्रीय आदर्श एवं परम्पराओं को संरक्षित करने में कहीं ना कहीं अपने आपको असमर्थ पा रहा है। यह प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक समयानुरूप है या बाधित परिवर्तन अथवा मात्र अन्धानुकरण यह जांच पड़ताल का विषय है।

शोध का उददेश्य–षोध हेतु उद्देश्य की महत्वपूर्ण भूमिका है बिना उददेश्य के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सही तरीके से नहीं की जा सकती। यदि उददेश्य निर्धारित न हों तो चुनौतियों का समना नहीं किया जा सकता और न ही सभ्यता और संस्कृति के जगत में व्यक्ति प्रयत्नशील हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनुश्य उददेश्यपूर्ण कार्य करके ही लक्ष्य तक पहुँचता है बिना उद्देश्य के सही लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से सम्बन्धित समीक्षा की संस्तुतियों का औचित्य एवं इनका क्रियान्वयन–एक अध्ययन विशय पर शोध हेतु शोधार्थी द्वारा निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं जो षोध की दिशा को तय करते हैं–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु गठित समितियों का अध्ययन करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुधार हेतु गठित समीक्षा समितियों की संस्तुतियों का क्रियान्वयन एवं उनके औचित्य का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सम्बन्ध में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के विचारों का अध्ययन करना।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुधार हेतु की गई संस्तुतियों के प्रभाव का अध्ययन

शोध विधि–

वर्तमान शोध में शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है इसका औचित्य इस प्रकार है अनुसंधान के क्षेत्र में मुख्यतः तीन प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है जिसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि प्रश्न में क्या, क्यों और कैसे। यदि इन प्रश्नों का उत्तर साहित्य में उपलब्ध हो तो शोध की आवश्यकता ही न पड़े। किन्तु वहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते। उपयुक्त प्रश्न ही यह निर्धारित करते हैं कि सम्बन्धित शोध का संचालन किस प्रकार किया जाए। यदि प्रश्न में क्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए ऐतिहासिक अथवा सर्वेक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्यों प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने हेतु दार्शनिक विधि का प्रयोग किया जाता है।

जनसंख्या–

प्रस्तुत शोध हेतु जनसंख्या के रूप में मेरठ मण्डल के मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, बागपत जनपद के उच्च शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों को लिया गया है।

न्यादर्श–

न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का वह अंश होता है जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिम्ब रहता है। न्यायदर्श का तात्पर्य सम्पूर्ण से अध्ययन के लिए ऐसी इकाई का पृथक करना जो सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है तथा सम्पूर्ण की अपेक्षा होती है।
अध्ययन के लिए चयनित प्रतिदर्श– प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने 240 शिक्षकों का चयन किया–

प्रश्नावली निर्माण–

शोधार्थी ने शोध हेतु एक प्रश्नावली का निर्माण किया जिसमें 35 पदों को सम्मिलित किया गया। शोध उपकरणों का प्रशासन प्रश्नावली 250 उच्च शिक्षा के शिक्षकों को दी गई परन्तु 240 उत्तरदाताओं से पूर्ण रूप से भरी हुई प्रश्नावली शोधार्थी द्वारा स्वयं एकत्र की गई शेष 10 उत्तरदाताओं द्वारा दी गई त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण थी। प्रश्नावली थ्री– प्वाइंट स्केल पर 35 कथनों में निहित है। प्रत्येक कथन शिक्षकों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सम्बन्धित समीक्षा की संस्तुतियों का औचित्य एवं इनका क्रियान्वयन– एक अध्ययन विचारों से सम्बन्धित है।
प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विधियाँ– परीक्षण से प्राप्त अंकों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना अथवा उनकी व्याख्या करना तब तक व्यर्थ है जब तक की उनका सांख्यिकीय विश्लेषण न किया जाये परीक्षा की प्रकृति और प्राप्त अंकों के आधार पर सांख्यिकीय तकनीकियों का चुनाव करके आंकड़ों को परीक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा $\chi 2$(काई वर्ग) के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। जहाँ आवृत्ति एवं आकृति में तुलना करनी होती है वहां $\chi 2$(काई वर्ग) का प्रयोग किया जाता है।

शोध निष्कर्ष–

शोध आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को दिशा देने में सहायक रही है। इसकी शैक्षिक रूपरेखा देश के अनुसार गठित की गई थी। 1986 की शिक्षा नीति द्वारा प्राथमिक शिक्षा को (निःशुल्क) मुक्त और अनिवार्यता करने के लिए आप्रेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया माध्यमिक स्तर पर पेस सेटिंग स्कूल (नवोदय विद्यालय) खोले गये। उच्च शिक्षा में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। तकनीकी शिक्षा का स्तर उठाने के लिए प्रयास किए गये। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद शिक्षक शिक्षा में अनेक सुधार किए गये। यह नीति एक महान उपलब्धि रही कि 556 प्रशिक्षण और जिला शिक्षा संस्थान (डायट) स्थापित किये गये। 104 शिक्षा प्रशिक्षण कालिजों को शिक्षक शिक्षा के कालिज को प्रमोशन किया गया और 39 कालिजों को शिक्षकों में एण्डवांस अध्ययन के केन्द्र स्थापित किये गये और इनसे सम्बन्धित शिक्षकों को उन्नति प्रदान की गयी। अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने भी

शिक्षक शिक्षा को प्रभावित करने के लिए योजना क्रियान्वित की। सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए लगातार वकालत की गयी और बोधात्मक मूल्यांकन उदेश्य, पूर्ण परीक्षा प्रणाली को तैयार करने के लिए प्रयास किये गये। यह शिक्षा नीति राष्ट्र की प्रथम ऐसी नीति थी जिसमें अनेक योजनाओं को बनाया गया और उनके क्रियान्वयन को प्रस्तुत किया गया जबकि पूर्व की नीतियों में सिर्फ योजना थी। शिक्षकों और प्रशासकों के लिए अनिवार्य किया गया था कि उनको शिक्षा के स्तर के लिए जवाबदेह होना चाहिए। शिक्षकों और छात्रों द्वारा एक नीति को सफल करने के लिए यह एक समाकलित प्रयास था। प्रजातन्त्र में शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया। इसके लिए अधिकतर प्रयासों का पालन किया गया। ऐसे ढंग से पाठ्यक्रम को आकार दिया गया कि छात्र शिक्षा के निश्चित स्तर को प्राप्त करने के बाद आत्म निर्भर हो सकते हैं। शिक्षा पर व्यय सम्पूर्ण आय का 6 प्रतिशत विद्यमान शिक्षा प्रणाली की स्थिति के सुधार के लिए किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। कामगार लोगों के बालकों के देखभाल हेतु प्रतिदिन देखभाल केन्द्रों और आंगनबाड़ी के द्वारा पूर्व प्राइमरी शिक्षा को प्रभावशाली बनाया गया। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की स्थपना ने शैक्षिक शाखाऐं बनाई जिससे अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर मिल सकें । उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने और नवीनीकरण करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज–कल उच्च शिक्षा छात्रों के लिए असानी से उपलब्ध होती जा रही है, जैसा पूर्व अवधि की तुलना में देश में शिक्षा 10+2+3 की समान व्यवस्था के स्तर पर लागू किये जाने का प्रस्ताव था। इस समानता ने माध्यमिक शिक्षा के स्तरों को उठाने के लिए नई दिशा को जन्म दिया है। कार्य अनुभव का प्रत्यय परिश्रम की समानता के लिए चलाया गया है। तकनीकी शिक्षा से देश के आधुनिकरण में एक क्रान्ति आई है। जिससे यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए बहुत सहायक हुई है।

जबकि दूसरी ओर हमारे देश के अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित हैं। अत्यन्त चिंता की बात है कि विश्व के निरक्षरों में से 50 प्रतिशत निरक्षर हमारे देश में हैं और असंख्य बच्चे प्राथमिक शिक्षा के स्वीकार्य स्तर से वंचित रह जाते हैं। सरकार दो रूपों में अर्थात मानव अधिकार के रूप में तथा अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने के माध्यम के रूप में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह जरूरी है कि शिक्षा को महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को समानता के हक को प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन बनाया जाये। इसके साथ ही शिक्षा के परिवेश को उस अभिजात्य विकृति से भी मुक्त किया जाए जो उसका विशेष लक्षण बन गई है। शैक्षिक संस्थायें जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से अधिकाधिक प्रभावित होती जा रही है। इन तत्वों के विरूद्ध संघर्ष करने पर बल देना और सही समतावादी तथा धर्मनिपरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की ओर विचार किया तथा इस समिति के सुझावों पर विचार विमर्श के लिए अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के रूप में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा एक समिति के गठन की आवश्यकता का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रीी ने 31 जुलाई 1991 को आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मन्त्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद समिति नामक एक समिति का गठन किया। यह समिति मुख्य रूप से स्कूली बच्चों के बोझ को कम करने के लिए नियुक्त की गई थी जिसने अपनी विभिन्न सिफारिश की परन्तु इस समिति की अधिकांश संस्तुतियों का क्रियान्वयन नहीं हुआ और पुनः भारत सरकार को एक तीसरी समिति का भी गठन करना पड़ा जो उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मौजूद विभिन्न कमियों के चलते हुए सम्पूर्ण भारत में फैल रहे 'शिक्षा बचाओ' आन्दोलन को शान्त करने हेतु था जिसका नाम यशपाल समीक्षा समिति था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख पक्ष कार्य योजना माना गया। यशपाल समिति ने इसी 'कार्य–योजना' की समीक्षा करके सुझाव दिये। इस कार्य–योजना की समीक्षा में 'स्कूल के बस्ते' पर एक बार फिर विचार किया गया और कहा गया कि नगर के विद्यालयों में छात्रों को अधिक संख्या में पुस्तकें खरीदने को कहा जाता है, जो उनके बस्ते के भार को बढ़ाती है। छात्रों के बस्तों पर भार अधिक हो जाता है। यह आर0के0 नारायण ने संसद में और संसद से बाहर प्रश्न उठाया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में ऐसी कौन सी कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये? जिससे शिक्षा बचाई जा सके। इस सम्बन्ध में उपरोक्त समीक्षा समितियों ने भी इस पर कोई सुझाव नहीं दिया।

सन्दर्भग्रन्थ–

1. आहलुवालिया एस0पी0 एण्ड बायस एच0एस0– "एजुकेशन–इश्यूज एण्ड चेलेन्जिस"
2. ग्रास जी0आर0– 'द रोल काम्प्लिक्ट एण्ड दा टीचर' 1971
3. नरेश प्रसाद– 'भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अध्यापकों की स्थिति और व्यवसायिक प्रतिबद्धता'
4. शर्मा आर0ए0 (2005)–'शिक्षा अनुसंधान, आर0लाल बुक डिपो मेरठ
5. भटनागर, आर0पी0 (2003)– 'शिक्षा अनुसंधान, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ।
6. सुखिया एस0पी0– 'एलीमेन्ट्स आफ एजूकेशनल रिसर्च'
7. नायक जे0पी0– 'एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया'